भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार

* डॉ. के.सी. वर्मा

सम्पत्ति कई प्रकार की होती है– स्थायी और चालू , स्थिर एवं चलायमान, मूर्त और अमूर्त। बौद्धिक सम्पदा एक अमूर्त, अदृश्य, कृत्रिम या बनावटी सम्पत्ति है जिसे हम मस्तिष्क के उत्पाद के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अर्न्तगत पेटेंट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइंस, भौगोलिक संकेतक, इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआइट, डिजाइन्स ट्रेड सीकेट्स या अप्रकट सूचनाओं तथा नई पौध किस्मों का संरक्षण शामिल किया जाता है। इन अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

1. ये अधिकार एकाधिकारी प्रकृति के होते है।

2. ये अधिकार एक निर्धारित अवधि के लिये प्राप्त होते है परन्तु ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेतक की अवधि अनिश्चित होती है । इनका नवीनीकरण निर्धारित फीस का भुगतान करके किया जाता है ।

3. ये अधिकार राष्ट्रीय होते हैं परन्तु कॉपी राइट वैश्विक स्वभाव का होता है।

4. अन्य सम्पत्ति के अधिकारों की तरह ये भी विधिक अधिकार की श्रेणी में आते है, न कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में।

5. बौद्धिक सम्पदा अधिकार भी खरीदे एवं बेचे तथा हस्तान्तरित किये जाते हैं।

वर्तमान समय में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अनेक अधिनियम एवं प्रावधान बनाये है तथा उन्हें लागू करवाने का दायित्व सुविधानूसार अपने विभिन्न मंत्रालयों को सौपा है–

1970 (संशोधन 1999, 2002, 2005) बनाया गया है जिसे लागू करवाने का दायित्व महानियंत्रक पेटेंट– औधोगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डी आई पी पी) वाणिज्य उद्योग एवं मंत्रालय भारत सरकार को सौपा गया है । पेटेंट किसी देश के अविष्कारकों को उनके आविष्कार के निर्माण, उपयोग, विनिर्माण एवं विपणन का विशेष अधिकार प्रदान करता है'" बशर्ते कि उस आविष्कार के स्वामी को इस विशेष अधिकार का प्रमाण पत्र पेटेंट कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया हो। इस विशेष अधिकार का अर्थ है कि कोई भी अन्य व्यक्ति इस पेटेंट धारी की अनुमति के बिना इस आविष्कार का निर्माण, उपयोग, विनिर्माण या विपणन नहीं कर सकता।

आविष्कार के स्वामी को यह अधिकार पेटेंट की तिथि से 20 वर्ष के लिए दिया जाता है परन्तु इस अधिकार पर देश के स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान भी प्रभाव डालते है। भारत में दिया गया पेटेंट भारत में ही लागू होगा यदि अन्य देशों में भी स्वामी पेटेंट चाहता है तो उन देशों में भी उसे पेटेंट कराना होंगा। यदि भारत में यह अनुभव किया जाता है कि जनहित में किसी पेटेंट को वापस लिया जाना आवश्यक है तो विशेष परिस्थिति में पेटेट को 20 वर्ष से पूर्व रद्द किया जा सकता है । पेटेंट को पूर्ण अवधि तक बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क जमा किया जाये। पेटेंट को अन्य सम्पत्ति की भाँति विरासत में स्वेच्छा से, विक्रय द्वारा, लाइसेंस के माध्यम से हस्तान्तरित किया जा सकता है। पेटेंट अधिनियम के अधीन एक आविष्कार तभी पंजीकृत हो सकता है जब विश्व में कोई भी व्यक्ति इसे प्रकाशित अथवा अन्य किसी भी रूप में न तो जानता हो न ही उपयोग करता हों। यह आविष्कार किसी वर्तमान कला की स्थिति का भाग भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान कला की स्थिति का आशय है कि यह आविष्कार किसी पत्र, पत्रिका, पुस्तक, जर्नल किसी पेटेंट दस्तावेज में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। इसका किसी सम्मेलन या अधिवेशन में वाचन भी नहीं होना चाहिए । किसी वर्तमान ज्ञान से आगे की ऐसी तकनीकी खोज जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और पेटेंट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए वह जानी पहचानी नहीं है तो उसे आविष्कार में शामिल किया

जा सकता है, पेटेंट भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकृत किया जाता है इसलिए आवेदन में देरी नहीं करनी चाहिए।पेटेंट हेतु आवेदन करते समय आविष्कारक का नाम, सम्बन्धित

तकनीकी क्षेत्र का नाम, आविष्कार की पृष्ठ भूमि , पूर्व में किये गये आविष्कारों या प्रकिया की कमियो का उल्लेख, आविष्कार में किये गये

प्रयोगों के परिणाम, आविष्कार को समझने के लिए जरूरी चित्र, आविष्कार के विधिक स्वामित्व के आधार तथा आविष्कार की संक्षिप्तिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि पेटेंट वानस्पतिक सामग्री से सम्बन्धित है तो उसके श्रोत तथा भौगोलिक उद्भव का उल्लेख भी आवश्यक होता है । किसी नयी वनस्पतिक सामग्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय डिपोजिटरी अथॉरिटी द्वारा प्रदत्ता पंजीयन संख्या और उसका पूर्ण पता भी दिया जाना आवश्यक होता है भारत में इन्स्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ एक मान्य अन्तर्राष्ट्रीय डिपोजिटरी अथोरिटी हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट सुविधा केन्द्र (पी. एफ. सी.) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली में स्थित है जबकि सभी राज्यों में पेटेंट सूचना केन्द्र स्थापित किये गयें है । उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी परिषद विज्ञान भवन, सूरज कुंड पार्क, लखनऊ में पेटेंट सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है।जिसका कार्य है – लोगो को बौद्धिक सम्पदा अधिकारो के प्रति जागरूक करना, पेटेंट की जा सकने वाली वस्तुओं की खोज करना, पेटेंट हेतु आवेदन करने वाले प्रकरणों का विश्लेषण करना, परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराना । वर्ष 2006 तक उत्तर प्रदेश में कुल 833 पेटेंट कराये गये हैं।

श्रोत– पेटेंट सूचना केन्द्र, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग (राजस्थान सरकार)जयपुर टाइफेकः डी ओ सीः 023

पृ.सं. 9

एक जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद विशेष विपणन अधिकार रखने वाले देशों में दवाइयों और एग्रोकेमिकल्स के लिए पेटेंट देने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया परन्तु इसके लिए सदस्य देशो में से किसी एक से उत्पाद के विपणन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

भारत 7 दिसम्बर 1998 से पेरिस कन्वेंशन का सदस्य बन गया है।यह ण्क ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सहमति है जिसे सदस्य देशो के बीच प्राथमिकता की तिथि का कोई नुकसान किये बिना व्यापार बढ़ाने और औद्योगिक समपत्तियों के संरक्षण के लिए तैयार किया गया है।

कॉपीराइट के अर्न्तगत साहित्यिक, नाटक, संगीत सम्बन्धी कार्य, कला सम्बन्धी कृतियां, कम्प्यूटर प्रोगाम, साहित्यिक कार्य

*रीडर-वाणिज्य, रा.स्ना. महाविद्यालय-ओबरा

आवेदन का प्रकार	शर्ते एवं समय सीमा	अधिकृत शुल्क	
		व्यक्ति के लिए	संस्था के लिए
पेटेंट हेतु आवेदन	अधिकतम 30 पृष्ठ व 10 दावों के लिए प्रति अतिरिक्त पृष्ठ के लिए प्रति अतिरिक्त दावे के लिए	1000रू0 100 रू0 200 रू0	4000 रू0 400 रू0 800 रू0
पेटेंट की अवधि बढाने हेतु		2500 रू0	10,000 रू0
नवीनीकरण शुल्क (प्रतिवर्ष)	दूसरे से छठे वर्ष सातवें से दसवें वर्ष ग्यारहवें से पन्द्रहवें वर्ष सोलहवें से बीसवें वर्ष	500 रू0 1500 रू0 3000 रू0 5000 रू0	2000 रू0 6000 रू0 12000 रू0 20000 रू0
शीघ्र प्रकाशन का आग्रह		2500 रू0	10000रू0

में आने वाले साफ्टवेयर, सिनेमा फिल्में, वीडियो फिल्में, रिकार्ड,कोई भी डिस्क, टेप या अन्य डिवाइस आती है। साहित्यिक नाटक या संगीत सम्बन्धी कृति को किसी भी रूप में पुनः तैयार करना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी माध्यम में स्टोर करना जनता के लिए उन्हें जारी करना साउंड रिकार्डिंग के माध्यम से संचारण करना या कृति का अनुवाद करने वाले समस्त कार्य इसकी परिधि में आते हैं। इसी प्रकार किसी कलात्मक कृति का पुनः उत्पादन जनता को कृति के बारे में बताना कृति की कापी जनता में वितरित करना कृति को फिल्मों में शामिल करना या कृति का अनुवाद या जैसे समस्त कार्य एडॉप्शन कलात्मक कृतियों के कॉपीराइट में आयेंगे। इन सब कार्यो के कम्प्यूटर प्रोग्राम या उसकी कापी बेचना या किराये पर देना या किसी फिल्म की कापी बनाना बेचना या किराये पर देना कॉपीराइट के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कम्प्यूटर प्रोगाम, में निर्देशों के ऐसे समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसे शब्दों, कूट शब्दों ,योजनाओं या अन्य किसी रूप में तैयार किया जाता है ताकी कम्प्यूटर एक निश्चित कार्य कर सकें या वांछनीय परिणाम प्राप्त कर सकें

कॉपीराइट के नियमन एवं नियंत्रण हेतु इंग्लैण्ड में 1556 में ही प्रावधान बनाया गया था परन्तु भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 जिससें 1983, 1984, 1992, 1994, एवं 1999 में संशोधन किया गया है, लागू होता है[2]।'' जिसे लागू करवाने का दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को सौपा गया है। कॉपीराइट अवधि किसी साहित्यिक कृति के सम्बन्ध में लेखक की उम्र और उसके आगे 60 वर्ष होती है। सिनेमा, फिल्मों, रिकार्डो, फोटोग्राफ, मरणोपरान्त प्रकाशन, अनाम प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन के मामलें में कॉपीराइट की अवधि प्रकाशन वाले वर्ष से अगले कलेण्डर वर्ष की शुरूवात से 60 वर्ष तक की होती है।

प्रसारण के सम्बन्ध में कॉपीराइट की अवधि जिस वर्ष प्रसारण होता है उसके अगले कलेण्डर वर्ष से प्रारम्भ होकर 25 वर्ष तक होती है। कॅपीराइट का अन्य बौद्धिक अधिकारों की तरह नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। कॉपीराइट का हस्तान्तरण भी होता है। किसी विद्यमान अथवा सम्भावित कृति का कापीराइट– धारक पूर्ण या आंशिक कापीराइट का हस्तान्तरण पूरे विश्व के लिए या किसी देश या क्षेत्र के लिए पूर्ण या आंशिक अवधि के लिए समस्त या आंशिक अधिकारो का हस्तान्तरण कर सकता है।

एक बार कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, कृति आम जनता के लिए सार्वजनिक हो जाती है इसलिए कम्प्यूटर प्रोग्राम का छोटा सार ही फाइल किया जाना चाहिए। कॉपीराइट धारक लेखक द्वारा जब कोई कृति प्रकाशित की जाती है तो वितरित की जाने वाली कापियो पर कॉपीराइट कृतिस्वाम्य/प्रतिलिप्याधिकार) सुरक्षित का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। कॉपीराइट हेतु आवेदन करने के लिए साहित्य, नाटक,संगीत तथा कलात्मक कृति के लिए 50 रू प्रतिकृति, जिन साहित्यक या कलात्मक कृतियो का उपयोग वस्तु के सम्बन्ध में किया जाय उनके लिए 400 रू प्रति कृति, सिनेमा फिल्म हेतु 600 रू तथा रिकार्डिंग हेतु 400 रू प्रति कृति आवेदन शुल्क लिया जाता है।

ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह है जो किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा उत्पादित या उपलब्ध करायी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की पहचान है। ट्रेडमार्क में शब्दों, अंको, अक्षरों का मिश्रण होता है। इसमें रेखचित्र, सिम्बल, त्रिआयामी रंग या रंगो का संयोजन हो सकता है। इसका प्रयोग फर्मो,कम्पनियों एवं व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जिससे उनके उत्पाद या वस्तुएं और सेवाएं उनके प्रतिद्वंदियों से भिन्न दिखायी दें। टाटा,बाटा,लिबर्टी, वैद्यनाथ, डावर बाम्बे डाइंग आदि के ट्रेडमार्क हमारे मस्तिष्क में रचे बसे है।ट्रेडमार्क द्वारा उस वस्तु, डिजाइन या विचार की नकल को रोका नहीं जा सकता परन्तु उत्पाद के विषय में उपभोक्ता को भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। यह दो प्रकार का हो सकता है–प्रथम सर्टीफिकेशन ट्रेडमार्क जो व्यापार के काम में आने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर एक चिन्ह के रूप में लगाया जाता है तथा उनके उद्भव, मेंटीरियल,वस्तुओं के निर्माण का तरीका, सेवाओं के प्रदर्शन,गुणवत्ता और सटीकता के आधार पर दूसरों से अलग करता है। दूसरा कलेक्टिव मार्क, जो मार्क, व्यक्तियो के समूह के उत्पादों व सेवाओं को दूसरों से अलग करता है।

ट्रेडमार्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 लागू है जिसके अन्तर्गत बैकिंग,संचार, शिक्षा,वित्त,बीमा,चिंटफड, रीयल एस्टेट, परिवहन, भंडारण,सामग्री प्रसंस्करण,बिजली या अन्य उर्जा का वितरण ,मनोरंजन,ठहराव, निर्माण, मरम्मत, सूचना सम्प्रेषण व विज्ञापन से जुड़ी कोई भी सेवा जो व्यापार व औद्योगिक मामलों में सम्भावित उपयोग कर्ताओं को पहुचायी जाती है, सम्मिलित की जाती है[3]।'' यह अधिनियम व्यापार एवं व्यापारिक चिन्ह अधिनियम 1958 से कई मामलों में भिन्न है जैसे सेवा चिन्ह,कलेक्टिव मार्क्स सर्टीफिकेशन मार्क्स(यथा ISO,ISI,PFO)पंजीकरण की अवधि, अपराध, सजा आदि। ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानो को लागू कराने का

दयित्व महानियंत्रक ट्रेडमार्क, औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया है।
एक ही वर्ग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क या टेक्सटाइल ट्रेडमार्क के लिए आवेदन शुल्क रू 2500 है। एक ही वर्ग के अर्न्तगत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए कलेक्टिव व सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क का आवेदन करने का शुल्क रू 10,000 है, ट्रेडमार्क 10 वर्षे के लिए पंजीकृत किया जाता है इसके पश्चात इसका समय –समय पर नवीनीकरण रू 5000 देकर असीमित आवधि के लिए कराया जा सकता है।

किसी उत्पाद का रूप, रंग, आकार, डिजाइन, उस वस्तु की बाजार की माँग को काफी हद तक प्रभावित करते है। यदि आप के उत्पाद का बाहरी डिजाइन और साज–सज्जा दूसरो से अलग है और इसका लाभ भी आपको मिल रहा है तो आपको इसे संरक्षित करना चाहिए। यह सुरक्षा डिजाइन्स एक्ट 2000 के माध्यम से प्रदान की गई है जिसे लागू कराने का दायित्व महानियंत्रक डिजाइन,औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग वाणिज्य व उधोग मंत्रालय का है। अधिनियमानुसार डिजाइन का अर्थ है आकार, कॉन्फिगरेशन, पैटर्न ,सजावट और रेखाओं व रंगो का ऐसा संयोजन जो किसी वस्तु में द्विआयामी या त्रिआयामी या दोनों तरह से किया गया हो। यह कार्य औधोगिक प्रकिया, मानवीय ,यांत्रिक या रासायनिक तरीके से अलग–अलग या एक साथ किया गया हो सकता है।

डिजाइन पंजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि डिजाइन रचने वाले कारीगर को उसके काम का पूरा लाभ और संरक्षण मिले। परन्तु डिजाइन पंजीकरण हेतु निम्न मानकों का पूरा होना भी आवश्यक है –

– डिजाइन नया और भौतिक होना चाहिए।
– पंजीकरण के आवेदन से पूर्व इस डिजाइन का प्रकाशन या उपयोग नहीं होना चाहिए।
– डिजाइन की नवीनता इसके आकार और पैटर्न में अलग नजर आनी चाहिए।
– किसी वस्तु के विभिन्न विशिष्टताओ से डिजाइन के आकार, पैटर्न या सजावट का सम्बन्ध भी होना चाहिए।
– डिजाइन औधेगिक प्रकिया से बने किसी भी उत्पाद पर लागू होना चाहिए।

इसलिए पेटिंग, मूर्तियाँ, कलात्मक डिजाइन इस अधिनियम का विषय वस्तु न होकर
कॉपीराइट के विषय है। इसी प्रकार किसी योजना या लेआउट का पंजीकरण भी नहीं हो सकता।

– पूर्ण रूप से बनी वस्तु में डिजाइन का आँखेा से मूल्यांकन हो जाना चाहिए अर्थात डिजाइन वस्तु के उपर नजर आनी चाहिए। किसी बाक्स,आलमारी या पर्स में यह सम्भावना कम है।
– डिजाइन में ट्रेडमार्क, कलात्मक कृति, कार्ड, लेवल , टोकन , टिकट आदी को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये सभी उत्पाद के अभिन्न अंग नहीं है।

डिजाइन का पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त पर किया जाता है यदी किसी वस्तु की एक जैसी दो डिजाइन के लिए आवेदन मिले है तो पहले आवेदन करने वाले को ही पंजीकृत किया जायेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क रू 1000 निर्धारित है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में डिजाइन का नम्बर , आवेदन का दिनांक ,मालिक नाम एवं पता– डिजाइन के मालिकाना हक को प्रभवित करने वाले अन्य विवरण दिये गये होते हैः पुराने पंजीकृत डिजाइन का अवलोकन रू 500 शुल्क तथा फार्म जमा करके किया जा सकता है डिजाइन का प्रथम पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है परन्तु इसके अवधि समाप्त होने से पूर्व 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति या संस्था डिजाइन में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे इस अपराध के लिए अधिकतम 25000 रू का जुर्माना रजिस्र्टड स्वामी को देना होगा।

भौगोलिक संकेतक (जियोग्रफिकल इंडिकेशन)

यह संकेतक वह नाम होता है जो कुछ कृषि संम्बन्धि वस्तुओ ,प्राकुतिक वस्तुओ या किसी देश या उसके किसी क्षेत्र या नगर में विर्निमित या पैदा की जाने वाली वस्तुओ से जोंड दिया जाता है उस वस्तु की गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा उस भौगोलिक क्षेत्र से जानी पहचानी जाती है। जैसे– बनारसी –साड़ी, दार्जिलिंग चाय, मलिहाबादी आम और नागपुरी संतरा , कांजीवरम–सिल्क , स्कॉच, व्हिस्की आदि। केवल उत्तर प्रदेश में 85 ऐसे उत्पाद है जिनकी भैगोलिकता के आधार पर पहचान की जाती है।
यदि उत्पादको का कोई समूह, संगठन या अभिकरण सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण व संरक्षण) अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार के कार्यकम में लिखित आवेदन करना चाहिए रजिस्ट्रार अद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डी आई पी पी) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। एक भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण हो जाने पर इसके संरक्षण की अवधि दस वर्ष की होती है परन्तु समय समय पर नवीनीकरण शुल्क देकर इसका असीमित समय के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है।

यदि कोई भौगोलिक संकेतक भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है या किसी अधिनियम के विरूद्ध है या उसमें कोई विवादित या अश्लील सामग्री है या भारत के किसी वर्ग या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली है या उसके मूल देश में इसे संरक्षण देने के लिए प्रतिबन्धित कर दिया गया है या इसका उपयोग बंद कर दिया गया है या इसके उत्पत्ति अथवा मूल के बारे में गलत दावा किया गया है तो इसका पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। अधिनियम के अधीन भौगोलिक संकेतक के बारे में गलत दावा करने पर छः माह से तीन वर्ष का कारावास तथा पचास हजार से दो लाख रू. तक के अर्थदण्ड का प्रावधन है।

सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइंस

इसको संरक्षण प्रदान करने के लिये आई सी लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू कराया जाता है। लेआउट डिजाइन में ट्रांजिस्टर व सर्किट सम्बन्धी अन्य त्तवो का सेमी कंडक्टर मेंटीरियल, किसी इंस्यूलेटिंग मेंटीरियल के ऊपर या इसके अंदर प्रयोग किये जाने वाले मेंटीरियल या किसी भी रूप में इनको जोड़ने वाले लीड या तार को भी शामिल किया जाता

कम सं0	आवेदन का प्रकार	शुल्क
1.	एक ही वर्ग की वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण	रू 5000 का आवेदन
2.	विभिन्न वर्गो की वस्तुओं के जी.आई.पंजीकरण का एकता आवेदन	रू 5000
3.	पंजीकृत जी. आई. के अधिकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण का आवेदन	रू. 500
4.	एक अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन	रू. 500
5.	अधिकृत उपयोगकर्ता का नवानीकरण	रू. 500

है ताकि किसी इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिये इसका प्रयोग किया जा सके।

आई सी लेआउट डिजाइन के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि –

1– यह डिजाइन मौलिक होना चाहिए।

2– इसका भारत या विश्व व्यापार समझौते में शामिल किसी देश में वाणिज्यक उपयोग हुआ नहीं हाना चाहिये।

3– इसकी अलग पहचान होनी चाहिये।

4– यह डिजाइन किसी पंजीकृत डिजाइन से अलग होना चाहिये।

लेआउट डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर रू. 5000 तथा रजिस्ट्रर्ड से प्रमाण पत्र के आवेदन के लिये रू. 2500 शुल्क निर्धारित है। आई सी लेआउट डिजाइन की संरक्षण अवधि आवेदन करने से दस वर्ष तक होती है।

किसी पंजीकृत लेआउट डिजाइन का अधिनियमानुसार उल्लंघन केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये पुनः उत्पादन, आयात, विकय या वितरण की दशा में माना जाता है यदी इनका वैज्ञानिक खोज या आविष्कार के लिये किया गया है तो इसे प्रावधन का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

–भारत में नई पौध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नवीन पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम– 2001 लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रशासन के लिये'' पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिकरण''कृषि मंत्रालय के अधीन स्थपित किया गाया है। यह अधिनियम निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में नई पौध किस्मों पर शोघ और इनके विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि इनमें किये गये निवेश से उचित प्रत्याय हों[4]'' ।जिससे देश में बीज उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके तथा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और पौध ा किस्में उपलब्ध हो सकें।

यह अधिनियम पौध उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी व्यवस्था देता है और कृषको को सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उसके पैदावार की बचत, उपयोग, भागीदारी और विकय के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके साथ ही शोध–कर्ताओं के अधिकारों का भी संरक्षण हो सके । इसके लिए यदि पौध किस्म नवीन है किसी अन्य किस्म से पूरी तरह अलग है जिसमें एक रूपता एवं स्थायित्व है अथवा किसी प्रजाति की विस्तृत किस्म. यदि नवीन, एक रूप और स्थायी है तो उसे पंजीकृत कराकर सरंक्षित किया जा यकता है।

किसी भी पौध किस्म को नवीन तभी माना जायेगा जब इसके सरंक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि तक, उपज न तो बेची गई हो न किसी अन्य रूप में किसी को दी गई हो तथा उत्पादक या उसके उत्तराधिकारी की सहमति से इसका दोहन न हुआ हो।भारत में इसकी समय सीमा आवेदन करने की तिथी से एक वर्ष से पहले और भारत के बाहर वृक्षों की दशा में छः वर्ष तथा अन्य दशाओ में चार वर्ष से पहले निर्धारित है।पंजीकरण से एक रूपता पूर्व सुभिन्नता एकरूपता, स्थायित्व तथा नामकरण की जॉच की जाती है। कोई पौघ किस्म सुभिन्न तभी मानी जायेगी जबकी इसका एक अनिवार्य गुण किसी अन्य किस्म से किसी भी तरह अलग हो और पहचाना जा सके ।

किस्म की एकरूपता तब मानी जायेगी जब उसके लक्षणों के आघार पर यह स्वीकार कर लिया जाय कि वह अपने सुसंगत लक्षणों में पर्याप्त रूप से एक रूप है। एक नई किस्म तभी स्थाई माना जायेगी जबकि इसके अनिवार्य गुण कई बार प्रतिपादीत करने के बाद भी नहीं बदलते है। अन्त में उस पौघ किस्म को एक उचित नाम दिया जायेगा जिससे उसका रजिस्ट्रेशन होना है।

पंजीकरण हेतु पौध किस्मो की जॉच कराने का शुल्क पौध की प्रकृति के अनुसार अधिकतम 50000 रू हो सकता है। नवीन किस्मों का पंजीकरण तथा नवीनीकरण शुल्क व्यक्तिगत 5000 रू शैक्षणिक 7000 रू तथा व्यावसयिक संस्थाओ के लिए 10000 रू निर्घारित है। वृक्षों के मामले में पंजीकरण की तिथि से संरक्षण की अवधि 18 वर्ष होती है परन्तु विस्तारित किस्मों तथा अन्य मामलों में यह अवधि 15 वर्ष की होती है। प्रारम्भ में पंजीकरण का प्रमाण पत्र वृक्षों के मामले में नौ वर्ष तथा अन्य उपजों के मामले में 6 वर्ष होता है। इसके बाद प्रतिवर्ष एक निश्चित शुल्क देकर शेष अवधि तक इसका नवीनीकरण कराया जा सकता हैं।

इस प्रकार भारत सरकार ने वौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु पर्याप्त कदम उठाये हैं।

सन्दर्भ

1. '' बाजार व्यवस्था –शर्मा एवं जैन,साहित्य भवन आगरा,– 1994 पृ0सं0 222
2. '' इन्डिया 2006 पृष्ठ सं0 253 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3.'' शोध प्रबंध– भारत में राजकीय व्यापार : आलोचनात्मक अध्ययन वर्ष –1995 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद पृष्ठ सं0 230।
4. ''प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली प्रकाशन –2006 पृ0 स0–17